कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश,
''कचनार'' ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी, 2007

क्र. 07/जिका/नग्रानि/2007.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 15 की उप धारा (1) के अनुसरण में, भोपाल निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये 45 अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन कर सर्व साधारण से उनकी आपत्ति एवं सुझाव को आमंत्रित किया गया तथा प्राप्त आपत्ति/सुझावों की उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अनुसरण में ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जिन्होंने कि आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत किये हैं, सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देकर ऐसे उपांतरण कर लिये गये हैं, जिन्हें वांछनीय समझा गया है.

अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन भोपाल निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक् रूप से दिनांक 3 फरवरी, 2007 को अंगीकृत किया जाता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में इस सूचना को ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बाबत का साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर की प्रति दिनांक 3 फरवरी, 2007 से 18 फरवरी, 2007 तक कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल-सीहोर, मध्यप्रदेश ''कचनार'' ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल के कार्यालय में कार्यकारी दिवसों में कार्यालयीन समय में सर्व-साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगे.

बी. एन. त्रिपाठी,
संयुक्त संचालक